



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 242/17

निर्णय दिनांक: 25.05.2018

1. जगदीश पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी 51 एलएनपी तहसील पदमपुर
जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार खान्जुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 24-11-2001
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 24-11-2001 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील

पूगल के चक 16 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 12/50 में किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि के लिए दिनांक 30-01-1999 को आवेदन किया था तथा अरनेस्ट मनी के रूप में 500/- रुपये जरिये जीए 55 संख्या 403802/27 दिनांक 20-01-1999 को जमा करवाये थे। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि विशेष आवंटन हेतु राजपत्र में प्रकाशित था जिसके लिए अपीलांट ने आवेदन किया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवेदन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त रकबा स्कीम से बाहर होने के कारण खारिज किया जाता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत को चाहिए था कि यदि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा स्कीम से बाहर है तो ऐसी स्थिति में अन्य रकबा जो स्कीम में हो तथा राजपत्र में प्रकाशित हो तथा आवंटन हेतु शेष बचा हो, वो रकबा आवंटन कर देना चाहिए था। लेकिन अदालत मातहत ने तमाम कानून को ताक पर रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-11-2001 के विरुद्ध अपील 11-07-2017 को पेश की है। जो करीब 16 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वा आवेदित रकबा स्कीम से बाहर होने के कारण खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील खारिज की जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-11-2001 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील दिनांक 11-07-2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 16 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 12/50 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा स्कीम से बाहर होने के कारण अपीलांट के आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 24-11-2001 को निरस्त कर दिया गया।

(3) प्रकरण में अपीलांट द्वारा जिस रकबे के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त प्रार्थना पत्र आवंटन उसी स्थिति में किया जा सकता था जब वादगत् भूमि विशेष आवंटन हेतु राजपत्र में प्रकाशित होती। प्रकरण में अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि विशेष आवंटन हेतु राजपत्र में प्रकाशित है। विशेष आवंटन नियमों में प्रावधान है कि आवेदक द्वारा आवेदित रकबे का ही आवंटन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन कि यदि वादगत् भूमि राजपत्र में प्रकाशित नहीं थी तो ऐसी स्थिति में उसे अन्य रकबा जो राजपत्र में प्रकाशित हो आवंटित किया जाना चाहिए था, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 24-11-2001 बहाल रखा जाता है।
9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

